


24/06/25

आज यह पत्रावली जारी कर दी जा रही है। प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी पत्रों के प्रत्येक प्रस्तुत पर विचार के उभय पक्ष का शक्तिशाली होना है। चार पक्ष आगे नती चलाया जाये। इसलिये पत्र पत्र इसी स्तर पर विज्ञापन की अवधि दी जाये। पत्रावली का अन्तर्गत विज्ञापन पत्रों का प्रकाशन किया जाये। अतः पत्र पत्रों की अवधि की पत्र विज्ञापन विज्ञापन ही गणना से करे।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Ambarish



GCMS
2025/224

